

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

वजाराम पुत्र वेलाराम जाति कुम्हार
निवासी पालडीएम तह0 शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओवाराम पुत्र धरमा जी
2. मगाराम पुत्र पोमाजी
3. शंकर पुत्र रामाजी
4. प्रभुराम पुत्र मोना उर्फ मोनिया
5. पुखराज पुत्र छोगाजी
6. प्रेमराम पुत्र पोमाजी
7. भावाराम पुत्र दानाजी
8. देवाराम पुत्र मूपाजी
9. मोडाराम पुत्र मुपाजी
जातियान कुम्हार निवासीयान पालडीएम
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

विद्वान अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 32/2015

—:निर्णय:—

दिनांक 18.02.2026

इस न्यायालय द्वारा जारी संशोधित प्राथमिक डिक्री क्रमांक 373 दिनांक 05.08.2020 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2025/547 दिनांक 08.08.2025 से मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन के खसरा नं0 1095/5 रकबा 0.3804 हैक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जो कि उचित होने से स्वीकार योग्य पाया गया।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिबन्दा। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक/कोर्ट/2026/ 87
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
शिवगंज
दिनांक 18.02.2026

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्ली व मुकदमें इत्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

वजाराम पुत्र वेलाराम जाति कुम्हार
निवासी पालडीएम तह0 शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओवाराम पुत्र धरमा जी
2. मगाराम पुत्र पोमाजी
3. शंकर पुत्र रामाजी
4. प्रभुराम पुत्र मोना उर्फ मोनिया
5. पुखराज पुत्र छोगाजी
6. प्रेमराम पुत्र पोमाजी
7. भावाराम पुत्र दानाजी
8. देवाराम पुत्र मूपाजी
9. मोडाराम पुत्र मुपाजी
जातियान कुम्हार निवासीयान पालडीएम
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

विद्वान अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0- 32/2015

दिनांक 18.02.2026

वकील पक्षकारान उपस्थित। वादग्रस्त आराजी मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन के खसरा नं0 1095/5 रकबा 0.3804 हैक्टयर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्ली किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि आराजी मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन के खसरा नं0 1095/5 रकबा 0.3804 हैक्टयर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्ली आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुकमनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान	-:शून्य:-

कमांक/कोर्ट/2026/ 88
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 18.02.2026

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)